

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

प्रकरण संख्या: 106/2019

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रार्थी

श्रीमती मीरादेवी पत्नी कृपाराम जाति भील निवासी लुदराडा तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

विप्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 128, 141(ए), राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

-:: आदेश ::-


दिनांक :- 19.07.2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 141(ए) रा.भू.रा. अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है जिसका संक्षिप्त तथ्य है कि प्रार्थनी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 710/370 रकबा 0.2105 किस्म गै.मु. आवासीय एवं कब्जा स्वामित्व की भूमि आई है उक्त कब्जा स्वामित्व की भूमि के बदिशा बदिशा पश्चिम तरफ कुछ लोग जबरन कब्जा कर, प्रार्थी की भूमि पर भी पर कब्जा करने की चेष्टा कर रहे है तथा भूमि का नाप नहीं करने दे रहे है, तथा पश्चिम की तरफ उक्त खसरान का सही सीमा निर्धारण भी मौके पर नहीं करने दे रहे है तथा पश्चिम दिशा की हद सही तौर से नाप करके स्पष्ट नहीं करने दे रहे है। जिससे प्रार्थी के उक्त स्वामित्व कब्जा की भूमि के चारो चार दीवारी बनाने पर मौके पर विवाद हो रहा है तथा उक्त खसरान की पश्चिम दिशा की हद का सही निर्धारण कर मौके पर पत्थर गद्दी करवाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र श्री न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरुद्ध बाबजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2071 -2074 सरहद मौजा मोतीसरा पटवार मण्डल मोतीसरा तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 710/370 रकबा 0.2105 हैक्टयर भूमि किस्म गै.मु. आवासीय का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थी का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व नेखबन्दी नहीं होने की स्थिति पड़ोसी खातेदारों के साथ विवाद की स्थिति बनी रहती है, जिससे बचने के लिये प्रार्थी अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।




उप खण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिवाना को आदेशित किया जाता है कि पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा मोतीसरा पटवार मण्डल मोतीसरा तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 710/370 रकबा 0.2105 हैक्टर भूमि किस्म गै.मु. आवासीय भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार सिवाना को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार सिवाना बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना
उपखण्ड अधिकारी

आदेश आज दिनांक 19.07.2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना
सिवाना (बांडमर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

क्रमांक: वाचक/2021/6939

दिनांक : 13-08-2021

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

मीरादेवी

राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 128, 141A, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

राजस्व आवेदन सं...106/2019

दिनांक :-


--: आदेश :-

उपरोक्त प्रकरण में राजस्व ग्राम मोतीसरा पटवार मण्डल कुण्डल तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 710/370 रकबा 0.2105 हैक्टर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार, सिवाना को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस रुपये 500/- प्रार्थी अदा करेगा।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।





उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बाड़मेर)

दिनांक : 13-08-2021

क्रमांक: वाचक/2021/6940-43

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार सिवाना
2. थानाधिकारी सिवाना
3. हल्का पटवारी मोतीसरा को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. मीरादेवी पत्नी कृपाराम जाति भील निवासी लुदराडा तहसील सिवाना जिला बाड़मेर


उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बाड़मेर)
सिवाना